यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग,पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग,पौड़ी के माह 01/2020 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन. यादव (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी), श्री पी.के. श्रीवास्तव (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी) एवं श्री शरद चौधरी (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तदर्थ) द्वारा दिनांक 11/01/2021 से 21/01/2021 तक श्री जे.एम.एस. रावत (वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी) के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.के. श्रीवास्तव (स.ले.प.अ.) एवं श्री मनोज कुमार (पर्यवेक्षक) एवं श्री आलोक कुमार (व. लेखापरीक्षक)द्वारा दिनांक 24/01/2020 से 04/02/2020 तक श्री जे.एम.एस. रावत (वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी) के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2019 से 12/2019तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i**) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0, पौड़ी** मे मार्ग/पुल /भवन का निर्माण एवं मरम्मत के कार्य

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(₹ लाख में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर-स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	2245, 2216, 2059, 5054	---	---	798.66	786.21	2888.45	2888.45	----	12.45
2019-20	2245,2216, 2059,5054, 3054	---	---	791.91	791.51	2291.42	2291.42	----	0.40
2020-21 (up to 12/2020)	2245, 5054	---	---	595.98	595.98	1210.00	796.16	---	413.84

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19						
2019-20			**शून्य**			
2020-21 (up to 10/2020)						

2. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "**A**"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,पौड़ी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,पौड़ी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वालेमाह **मार्च 2020 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु** चयनित किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य "**पौड़ी से रुद्रप्रयाग मोटरमार्ग के कि.मी.38 से मरोड़ा-गोदी-चौंदी-धिंदवाड़ा मोटर मार्ग का डामरीकरण"** का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में किया गया निरीक्षण: शून्य

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह **09/2020** तथा **09/2020** तक की गई।

7. फार्म 51: माह **12/2020** तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - ₹ 950340.41

भाग द्वितीय - ₹188747.60

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह **12/2020** के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - ₹ 8385938.00
(ख) सामग्री क्रय - Nil
(ग) नगद परिशोधन - Nil
(घ) निक्षेप- - ₹105346130.70
(ङ) भण्डार- -₹4561103.87

भाग-2 (ब)

प्रस्तर- 1(A) : रु 142.50 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य का एक वर्ष से भी अधिक समय से अपूर्ण रहना एवं ठेकेदार से Liquidated Damage की वसूली का न होना ।

उत्तराखंड शासन द्वारा पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पौड़ी-देवप्रयाग मोटर मार्ग के किमी 38 से मरोड़ा -गोदी–चौनडी -घिंदवाड़ा मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं पक्कीकरण कार्य द्वितीय चरण हेतु कुल रु 250.25 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (माह नवंबर 2017) की गयी थी जिसकी प्राविधिक स्वीकृति रु 237.49 लाख की प्रदान की गयी (अप्रैल 2018). कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध (11/एसई-12/18-19 दिनांकित 14.11.2018 रु 194.86 लाख हेतु गठित की गयी थी जबकि कार्य पूर्ण होने की अंतिम तिथि 13.11.2019 निर्धारित थी।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, पौड़ी के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (जनवरी 2021) मे पाया गया कि उपरोक्त कार्य कुल रु 142.50 लाख व्यय करने के बाद एक वर्ष से भी अधिक समय उपरांत भी कार्य अपूर्ण थे तथा कार्य मे उक्त देरी हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई समयवृद्धि प्राप्त न होने के उपरांत भी ठेकेदार से Liquidated Damage के रूप मे रु 19.30 लाख की पेनाल्टी भी वसूल नहीं की गयी थी। पुनः खंड द्वारा कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0), उत्तराखंड को प्रेषित मासिक लेखे के फार्म -64 (दिसम्बर 2020) के अनुसार उक्त कार्य के सापेक्ष कुल व्यय रु 235.57 लाख था जबकि कार्य के अंतिम देयक भुगतान के अनुसार (4^{th} running bill) भुगतानित धनराशि रु 142. 50 लाख थी (भिन्नता रु 87.57 लाख)

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया कि वर्तमान मे कार्य पूर्ण है एवं समयावृद्धि स्वीकृति हेतु प्रेषित है। EOT प्रेषित करते समय अनुबंध की शर्तो के अनुसार ठेकेदार पर विलंब हेतु अर्थदण्ड लगाया जाएगा। फार्म-64 मे भिन्नता रु 87.57 लाख के संबंध मे बताया गया कि इस कार्य पर कुछ अन्य कार्यो के भी देयक भारित हो गए हैं जिन्हे TEO बनाकर ठीक कर लिया जाएगा।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यूंकि खंड द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने के संबंध मे किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे एवं अनुबंध की शर्तो का पालन न करते हुये वर्तमान तक कार्य मे देरी हेतु ठेकेदार से अर्थदण्ड की वसूली भी किया जाना लंबित था। खंड द्वारा फार्म-64 मे रु 87.57 लाख की भिन्नता के संबंध मे भी पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अतः खंड द्वारा रु 142.50 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य का एक वर्ष से भी अधिक समय से अपूर्ण रहना एवं ठेकेदार से Liquidated Damage की वसूली न किए जाने का उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर-1(B) : रु 107.12 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य का अपूर्ण रहना एवं ठेकेदार से Liquidated Damage की वसूली न किए जाने का प्रकरण

उत्तराखंड शासन द्वारा पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत बंतापानी -कड़कोट -भूनेश्वरी मोटर मार्ग के किमी 1 से 4 मे पक्कीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (मार्ग लंबाई 4.00 किमी) हेतु रु 227.73 लाख की प्रदान की गयी (दिसंबर 2018) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि एवं मार्ग लंबाई हेतु ही प्रदान की गयी (मार्च 2019)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध (03/SE-12/19-20) दिनांकित 12.06.2019) रु 190.26 लाख हेतु गठित की गयी जिसके अनुसार कार्य पूर्ण होने की अंतिम तिथि 02.07.2020 थी। फार्म-64 (दिसंबर 2020) के अनुसार कार्य पर कुल व्यय रु 107.05 लाख था।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, पौड़ी के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (जनवरी 2021) मे पाया गया कि खंड द्वारा न केवल प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने के 04 माह बाद अनुबंध गठित किया गया अपितु कार्य समाप्ती की निर्धारित अंतिम तिथि के 04 माह बाद भी रु 107.95 लाख व्यय के उपरोक्त 50 प्रतिशत से भी कम कार्य पूर्ण किए जा सके थे। पुनः कार्य मे शिथिलता बरतने एवं कार्य मे देरी हेतु ठेकेदार से Liquidated damage के रूप मे अर्थदण्ड रु 17.12 लाख की पेनाल्टी की वसूली/कटौती नहीं की गयी थी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा तथ्य स्वीकारते हुये उत्तर मे बताया कि मार्ग के दोनों तरफ भवन होने के कारण मात्र 03 किमी मे आंशिक कार्य किए गए हैं तथा कार्य मे देरी हेतु ठेकेदार को नोटिस दिया गया है एवं EOT के समय अनुबंध के अनुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी।

अतः खंड के उत्तर से स्पष्ट है कि वर्तमान तक कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके थे एवं कार्य मे शिथिलता बरतने एवं देरी हेतु ठेकेदार से अर्थदण्ड की वसूली भी किया जाना लंबित था।

अतः खंड द्वारा रु 107.12 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य का अपूर्ण रहना एवं ठेकेदार से Liquidated Damage की वसूली न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग– दो 'ब'

प्रस्तर –2 रू0 421.79 लाख का व्यय किये जाने के बाद भी एकल संयोजकता के मार्ग को अपूर्ण छोड़ा जाना।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कल्जीखाल विकास खण्ड के अन्तर्गत नैल–धमेली–गडोली मोटर मार्ग नव निर्माण के द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति माह 10/2016 में लम्बाई 12 कि0मी0 हेतु रू0 552.12 लाख की प्रदान की गयी थी एवं प्राविधिक स्वीकृति माह 12/2016 में इतनी ही धनराशि की मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की गयी थी।

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, पौड़ी की लेखापरीक्षा माह जनवरी 2021 में पाया गया कि खण्ड द्वारा माह 12/2016 से 12/2018 के मध्य 11.500 कि0मी0 लम्बाई में कुल 06 अनुबन्धों द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया था। लेखापरीक्षा तिथि तक एक अनुबन्ध जो ग्रामवासियों के क्षतिग्रस्त रास्तों के निर्माण से सम्बन्धित था (161/AE dated 07/08/2018) को छोड़कर सभी अनुबन्धों पर कार्य समाप्त किया जा चुका था, लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि यद्यपि कार्य हेतु शासन द्वारा कुल 12 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी थी किन्तु खण्ड द्वारा मात्र 11.500 कि0मी0 लम्बाई में ही कार्य हेतु अनुबन्ध गठित किये गये एवं प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी जबकि वास्तविक रूप से मात्र 10.00 कि0मी0 लम्बाई में ही कार्य निष्पादित किया गया था शेष 1.500 कि0मी0 लम्बाई में कार्य छोड़ दिया गया था एवं अनुबन्धों का अन्तिमीकरण कर दिया गया था, कार्य पर कुल रू0 421.79 लाख का व्यय माह 12/2020 तक किया जा चुका था।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में बतलाया गया कि शेष 1.500 किमी0 लम्बाई में निर्माण हेतु ग्रामवासियों की सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। खण्ड का उत्तर विरोशाभाषी है क्योंकि खण्ड द्वारा अन्य अनुबन्धों सहित अन्तिम लम्बाई (कि0मी0 10.00 से 11.500 तक) हेतु गठित अनुबन्ध (19/EE dated 13/12/2016) का भी अन्तिमीकरण किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि खण्ड द्वारा आगे कार्य करने की कोई इच्छा नही है जबकि यह मार्ग एकल संयोजकता का मार्ग है जिसका निर्माण अपरिहार्य था।

अतः रू0 421.79 लाख का व्यय किये जाने के बाद भी एकल संयोजकता के मार्ग को अपूर्ण छोड़ने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या**	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**
1.	63/2004-05	1,2	2
2.	53/2005—06	1	1
3.	40/2010-11	1,2	1,2
4.	56/2011-12	1,2	1,2
5.	52/2013-14	-	1,2,3
6.	21/2015-16	1	1,2,3
7.	81/2016-17	1	1,2
8.	106/2018-19	1	1
9.	111/2019-20	1,2	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	वर्ष 2004-05 से 2019-20 की अवधि में हुए समस्त लेखा परीक्षा के प्रस्तरों के उत्तर महालेखाकार कार्यालय को विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V
आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य
सतत् अनियमितताएः शून्य

1. **विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

नाम	पदनाम	अवधि
श्री अरुण कुमार	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक।

2. **विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

नाम	पदनाम	अवधि
श्री तारा सिंह बिष्ट	खंडीय लेखाधिकारी	विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार, (AMG-II) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (N-PSUs)